2021/753

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला–जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान– 2021 कैम्प–कुमारा दिनांकः– 01-12-21

क्रमांकः– प्र.गां.के.सं.अ./2021/180

प्रेषितः– तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषयः– DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरूस्ती करने बाबत्। (एलआर एक्ट की धारा 131,136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम वासनी बीरसिंह पटवार हल्का वासनी बीरसिंह के खाता संख्या 305, 175 जिसके खसरा नं. 71, 74/1 रकबा 2.8814, 2.8233 किस्म BT की तरमीम दुरूस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र, पटवारी वासनी बीरसिंह भू अभिलेख निरीक्षक राजसिंह एरा की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरूस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरूस्ती अनुसार नक्शे में इन्द्राज करे।

नोटः– पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।

1/12/21

(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

दिनांकः– 01-12-21

क्रमांकः– सम/1899
प्रतिलिपिः–
1. प्रार्थी श्री रामेश्वर को सूचनार्थ।

1/12/21

(हवाई सिंह यादव)
प्रभारी अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2022.02.02 10:57:51 IST
Reason: SelfAttested

1.12.21
Tahsildar
A.S.D.O